

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302005
(दूरभाष नं०:-0141-2740837, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल: aao2.dta@rajasthan.gov.in)

दिनांक :- 12.01.2024

क्रमांक :- एफ.3(ई)(1)(6)एसीपी/जय0/अलेसे-आ/1223

आदेश संख्या:- 87/2023-24

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफ डी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017, 09.12.2017 एवं एफ. 14(88)एफ.डी./रूल्स/2008 दिनांक 18.12.2020 के अनुसरण में निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-आ को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में 27 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर इस निदेशालय द्वारा पूर्व में विभिन्न आदेशों द्वारा तृतीय ए.सी.पी. पे-मैट्रिक्स में लेवल एल-13 में स्वीकृत की गई थी। वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)एफ.डी./रूल्स/2017 पार्ट दिनांक 06.10.2023 के द्वारा Modified Assured Career Progression (MACP) योजना के प्रावधान लागू किये जाने के अनुसरण में ए.सी.पी. के स्थान पर एम.ए.सी.पी. लागू किये जाने के कारण पूर्व में स्वीकृत पे-मैट्रिक्स लेवल एल-13 के स्थान पर पे-मैट्रिक्स लेवल एल-14 में निम्नांकित तालिका के कॉलम संख्या 05 में अंकित दिनांक से स्वीकृत की जाती है।

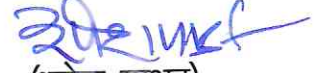
क्र. सं.	नाम (सर्वश्री)	मेरिट/बैच लिंक नं०	कनिष्ठ लेखाकार/समान लेवल के अन्य पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि	तृतीय एम.ए.सी. पी. देय तिथि	विशेष विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	सुबेसिंह	486 / 1994 5412	06.04.1996	06.04.2023	
2	प्रमोद कुमार सिंहल	DGS / 1996 5364	12.04.1996 (मध्याह्न पश्चात्)	13.04.2023	
3	ताराचन्द सैनी	487 / 1994 5505	10.04.1996	10.04.2023	11 वर्ष की ए.पी.ए.आर. जाँच के आधार पर देय
4	गिरीश कुमार चेलानी	DGS / 1996 8479	27.04.1996	27.04.2023	
5	घनश्याम रैगर	588 / 1994 4323	15.04.1996	15.04.2023	
6	देवेन्द्र पाल सिंह	565 / 1994 4286	09.04.1996	09.04.2023	11 वर्ष की ए.पी.ए.आर. जाँच के आधार पर देय
7	सुरेश कुमार	128 / 1994 5102	17.04.1996	17.04.2023	11 वर्ष की ए.पी.ए.आर. जाँच के आधार पर देय
8	हरिशंकर डागा	583 / 1994 4429	11.04.1996	11.04.2023	
9	चेतन कुमार जैन	DGS / 1996 1217	15.04.1996	15.04.2023	
10	सलीम खाँ	432 / 1994 5380	02.04.1996	02.04.2023	
11	सुनील कुमार शर्मा	455 / 1994 5394	27.04.1996	27.04.2023	
12	संजय विजय	DGS 5922	01.05.1996	01.05.2023	
13.	शूजा साबरी	DGS 5927	17.05.1996	17.05.2023	
14.	अशोक कुमार दुसाद	DGS 1214	27.05.1996	27.05.2023	
15.	संजय कुमार गुप्ता	DGS 5931	18.05.1996	18.05.2023	
16.	कृष्ण कान्त शर्मा	DGS 2762	02.07.1996	02.07.2023	11 वर्ष की ए.पी.ए.आर. जाँच के आधार पर देय

उपरोक्त तालिका के क्रम संख्या 03, 06, 07 व 16 पर अंकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-आ के गत 09 वर्ष में से पूरे 09 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने पर नियमानुसार गत 11 वर्ष में से 09 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर तृतीय Modified Assured Career Progression (MACP) इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपरोक्त कार्मिकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त अधिसूचना दिनांक 06.10.2023 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि इन्हें :-

1. पुनरीक्षित वेतनमान 2017 के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।
2. पूर्व में तृतीय एम.ए.सी.पी. स्वीकृत नहीं की गई है।
3. कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित Modified Assured Career Progression (MACP) देय तिथि से गत 7 वर्ष पूर्व तक कोई दण्ड नहीं दिया गया है।
4. इनके विरुद्ध फौजदारी/विभागीय जांच लम्बित अथवा प्रस्तावित नहीं है।
5. गत 07 वर्षों से नियमित वेतन वृद्धियां मिल रही है।
6. इनके द्वारा एम.ए.सी.पी. हेतु विकल्प प्रस्तुत कर दिया गया है।

इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित कार्मिक की सेवापुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावें।



(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन

संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :- एफ.3(ई)(1)(6)एसीपी/जय0/अलेसे-11/1223

दिनांक:- 12.01.2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष।
2. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)/एपीएआर शाखा को प्रेषित कर लेख है कि क्रम संख्या 03, 06, 07 व 16 पर अंकित कार्मिकों के वांछित वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर यदि उनमें कोई प्रतिकूल प्रविष्टि पाई जावे तो उनके प्रकरण को पुनः खोले जाने के प्रस्ताव इस शाखा को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करावें।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11
6. रक्षित/निजी पत्रावली।



अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक)